राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 32/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – AU SMALL FINANCE BANK LTD. Reg Office at 19-A. Dhuleshwar Garden Ajmer Road, Jaipur (Raj.)	बनाम	1. दीपक कुमार जैन पुत्र रमेश कुमार निवासी 35 रापार्वी के भवन के पास, बगवासा, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा 2. श्री रमेश अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल निवासी 35 बागवासा जहाजपुर जिला भीलवाड़ा 3. श्रीमती सुगना देवी पत्नि रमेश अग्रवाल निवासी 35, बागवासा तेली, बागवासा, जहाजपुर
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री शंकर सिंह चुण्डावत।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :26.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी AU SMALL FINANCE BANK LTD. Reg Office at 19-A. Dhuleshwar Garden Ajmer Road, Jaipur (Raj) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 09.12.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – All The Part and Parcels of the property Smt. Sugna Devi, Residential Plot at Bagwasa, Village Bagwasa, Tehsil Jahajpur, Dist. Bhilwara Admeasuring 640 Sqft. (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार) को रहन रखा गया। दिनांक 19.11.2019 तक कुल बकाया ऋण की राशि 2,70,373/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक 30.11.2020 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।